न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 167 / 2014

उनवान

1. भैरू लाल आत्मज नारायण गुर्जर निवासी मियाफलास का खेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. भूरदास पुत्र छोगादास बैरागी निवासी मियाफलास का खेडा (फौत) **नाम डिलिट दिनांक 12.7.2017**
2. रामचन्द्रदास पुत्र छोगादास निवासी मियाफलास का खेडा
3. रघुनाथदास पुत्र छोगादास निवासी मियाफलास का खेडा
4. हीरादास पुत्र छोगादास निवासी मियाफलास का खेडा
5. गोकलदास पुत्र छोगादास निवासी मियाफलास का खेडा
6. रूकमण पुत्री छोगादास निवासी मियाफलास का खेडा
7. गीता पुत्री छोगादास निवासी मियाफलास का खेडा
8. मदनदास पुत्र द्वारकादास बैरागी, निवासी मियाफलास का खेडा
9. शंकरदास पुत्र द्वारकादास बैरागी, निवासी मियाफलास का खेडा
10. सीता पुत्री द्वारकादास बैरागी, निवासी मियाफलास का खेडा
11. मिठ्ठू पुत्री द्वारकादास बैरागी, निवासी मियाफलास का खेडा
12. श्रीमती सोनी पत्नी द्वारकादास बैरागी, निवासी मियाफलास का खेडा
13. जानकीदास पुत्र भैरूदास बैरागी निवासी मियाफलास का खेडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

14. छगनदास पुत्र राधाकृष्णदास बैरागी निवासी मियाफलास का खेडा
15. श्रीमती सायरी बेवा हीरा खाती निवासी मियाफलास का खेडा
16. नेना आत्मज भीमा खाती निवासी मियाफलास का खेडा
17. मांगू आत्मज भीमा खाती निवासी मियाफलास का खेडा
18. भैरू लाल पुत्र लालू खाती निवासी मियाफलास का खेडा
19. श्रीमती गंगा पत्नी लालू खाती निवासी मियाफलास का खेडा (फौत) नाम डिलिट दिनांक 12.7.2017
20. मोहन आत्मज कालू सुथार निवासी मियाफलास का खेडा
21. हजारी आत्मज कालू सुथार निवासी मियाफलास का खेडा
22. किशनलाल पुत्र ऊंकार सुथार निवासी मियाफलास का खेडा
23. मदन लाल पुत्र ऊंकार सुथार निवासी मियाफलास का खेडा
24. नंगजी आत्मज ऊंकार सुथार निवासी मियाफलास का खेडा
25. मांगू पुत्र लच्छु सुथार निवासी मियाफलास का खेडा
26. माधु आत्मज लच्छु सुथार निवासी मियाफलास का खेडा
27. मियाराम पुत्र नारायण गुर्जर निवासी मियाफलास का खेडा
28. गोपी लाल पुत्र नारायण गुर्जर निवासी मियाफलास का खेडा
29. सायरी पुत्री नारायण गुर्जर निवासी मियाफलास का खेडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

30. चांदी पुत्री नारायण गुर्जर निवासी मियाफलास का खेडा तहसील करेडा जिला भीलवाडा

31. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, करेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्टस्

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 52/2013 निर्णय दिनांक 13.6.2013

अभिभाषक : 1. श्री मुकेश जैन, ,अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री संजय सेन अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 12.3.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीण /प्रार्थीगण भूरदास, रामचन्द्रदास, रघुनाथदास, हीरादास, गोकलदास, रूकमण, गीता पिता छोगादास, मदनदास, शंकरदास, सीता, मिठ्ठू , पिता द्वारकादास, सोनी पत्नि द्वारकादास, जानकीदास पिता भैरूदास, छगनदास पिता राधाकृष्णदास बैरागी निवासियान ग्राम मियाफलास का खेडा तहसील माण्डल ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मियाफलास का खेडा पटवार क्षेत्र धुंवाला तहसील माण्डल हाल तहसील करेडा में प्रार्थीगण के खाता संख्या 132 में अन्य आराजियात के साथ–साथ आराजी नम्बर 3274, 3275, 3276, 3284, 3285, स्थित है। उक्त आराजियात में आने–जाने का एकमात्र कदीमी रास्ता मियाफलास का खेडा से गोरख्या जाने वाली

भू. प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मुख्य सडक से होकर आराजी नम्बर 3289 से होकर आराजी नम्बर 3386/3289 की पश्चिमी मेड से होते हुए आराजी नम्बर 3283 की पूर्वी व दक्षिणी मेड तथा आराजी नम्बर 3286 की उत्तरी मेड़ से होकर प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त आराजियात में आते हैं। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण की आराजियात पर आने–जाने के लिए उपलब्ध नहीं है। राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से विपक्षीगण की रास्ते को अवरूद्ध करते हैं अतः आराजी नम्बर 3289 से होकर आराजी नम्बर 3386/3289 की पश्चिमी मेड से होते हुए आराजी नम्बर 3283 की पूर्वी व दक्षिणी मेड तथा आराजी नम्बर 3286 की उत्तरी मेड पर 30 फीट चौडा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा ग्राम मियाफलास पटवार हल्का धुंवाला (क) के आराजी नम्बर 3289 रकबा 8.06 किस्म चरागाह में से 953 वर्ग फीट रास्ता कायम चाहते हैं। परन्तु उक्त भूमि चरागाह होने से किसी व्यक्ति के नाम रास्ता कायम नहीं किये जाने के कारण शेष ग्राम मियाफलास के आराजी नम्बर 3286 के कुल रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा में से 7078 वर्ग फीट, आराजी नम्बर 3283 कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा में से 1634 वर्ग फीट, आराजी नम्बर 3386/3289 कुल रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा में से 1634 वर्ग फीट, कुल 10346 वर्ग फीट में प्रार्थीगण के दोनों तरफ मध्य बिन्दु रास्ते के लिए 8.25 का रास्ता कायम कर राजस्व नक्शे में प्रतिवादीगण को भुगतान करने के पश्चात राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर रास्ता कायम कर तरमीम करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया । डी एल सी रेट से 43400 रूपये प्रति बीघा से खातेदार आराजी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नम्बर 3286 भैरू लाल, मियाराम, गोपीलाल, सायरी, चांदी पिता नारायण गुर्जर के 7078 वर्गफीट के डी एल से रेट के 2 गुणा से रूपये 22570/– आराजी नम्बर 3283 में मोहन, हजारी पिता कालु, किशनलाल, मदन, नगजी पिता ऊंकार, मांगू, माधु पिता तुलछा सुथार के 1634 वर्ग फीट के डी एल सी के 2 गुणा से 5210/–रूपये, आराजी नम्बर 3386/3289 में सायरी बेवा हीरा, नेना, मांगू, भैरू लाल, पिता भीमा खाती के 1634वर्गफीट के डी एल सी रेट के 2 गुणा से 5210/–रूपये प्रतिवादीगण को भुगतान करे। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धार 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी। जब रेस्पोडेण्ट ने अपीलार्थी की भूमि में जबरन रास्ता निकालने की धमकी दी तब जानकारी हुई जिसपर अपीलार्थी ने अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी को नोटिस की प्रोपर तामिल नहीं हुई थी। जिस मानी को तामिल कराई गई है

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वह मानी कौन है। उसके पिता का नाम व जाति क्या है अंकित नहीं किया गया है। रेस्पोडेण्ट्स ने तामिल कुनिन्दा से मिलीभगती कर फर्जी तौर पर तामिल करवाई है। उसके बाद अपीलार्थी/विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। इसलिए अपीलार्थी अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका । रेस्पोडेण्ट/प्रार्थीगण के पास सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद अपीलार्थी की आराजी में से रास्ता देने का जो निर्णय पारित किया है वह विधिविरूद्ध होने से अपीलाधीन निर्णय खारिज किया जावे।

6. अपीलार्थी के जीविकोपार्जन के लिए भूमि भी बहुत कम होकर बहुमूल्य कृषि भूमि है। जिस पर कृषि कार्य कर अपीलार्थी अपने परिवार का भरण–पोषण करता है उसको हडपने की नियत से षड्यंत्र के तहत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया है। पटवारी हल्का ने जो प्रस्तावित नक्शा बताया है उसमें अपीलार्थी के सम्पूर्ण हक हिस्से का सम्पूर्ण रकबा ही रास्ते मे जा रहा है। यदि सारी भूमि रास्ते में चली गई तो अपीलार्थी को अपने परिवार के भरण–पोषण में काफी असुविधा हो जायेगी। प्रत्यर्थीगण के पास सुविधाजनक रास्ता मौके पर मौजूद है। इस तथ्य को नजरंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है इसलिए अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रस्तावित नक्शे के अनुसार रेस्पोडेण्ट सायरी खाती व अन्य की आराजी नम्बर 3282 से शुरू होकर आराजी नम्बर 3283 की मेड से होकर अपीलाण्ट की आराजी नम्बर 3286

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

की मेड से होकर प्रार्थीगण की आराजी में रास्ता होना बताया है। जो रास्ता 10346 वर्गफीट भूमि आती है जिसमे से अपीलाण्ट के हिस्से में आई भूमि में से 7078 वर्ग फुट भूमि आती है। जबकि इसके अतिरिक्त सीधा व सुगम व आत्यंतिक सुविधाजनक रास्ता रेस्पोडेण्ट सायरी व आराजी नम्बर 3282 में से प्रस्तावित रास्ता बताया गया व आराजी नम्बर 3283 व 3283 से सटमा प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 3276, 3275 है जो प्रस्तावित रास्ते से 3 गुना कम लम्बाई का रास्ता है । उक्त रास्ता सुविधाजनक होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को नजरंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज किया जावे।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि पटवारी हल्का द्वारा जो मौका पर्चा बनाया गया है वह मिलीभगत कर बनाया गया है । पर्चा मौका किस आदेश से बनाया गया है जो भी स्पष्ट नहीं है। मौका पर्चा पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर नहीं है न ही अपीलाण्ट द्वारा हस्ताक्षर से मना करने बाबत कोई तथ्य अंकित है। रेस्पोडेण्ट ने मिलीभगत कर बन्द कमरे मे पर्चा मौका बनवाया है। जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि विधि का सुस्थापित सि्द्धान्त है कि कोई रास्ता किसी मेड से लिया जाता है तो दोनों तरफ के खातेदारों को पक्षकार बनाया जाकर दोनां ओर से रास्ता दिलाया जा सकता है। पक्षकार को भी सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर कोई गौर नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खारिज योग्य है। रेस्पोडेण्ट आराजी नम्बर 3283 से होकर अपनी आराजी पर आते–जाते रहे हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

10. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील को मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावे। साथ ही निवेदन किया कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन/नोटिस जारी किया गया । बाद तामिल अपीलार्थी के उपस्थित नही होने की स्थिति में उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर प्रार्थीगण/रेस्पोडेण्ट्स की एकतरफा बहस सुनी जाकर पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत पर्चा मौका के आधार पर एवं आत्यंतिक आवश्यकता के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। आराजी नम्बर 3283 का एक दिशा से रकबा रास्ते हेंतु ले लिया गया है, इसलिये अपीलाण्ट से लगे हुये हिस्से से आराजी नम्बर 3283 का रकबा रास्ते में शामिल नही किया गया। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

11. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना का अवलोकन किया गया उक्त सूचना/नोटिस दिनांक 11.1.2013 को जारी किया गया जिसमें दिनांक 24.1.2013 तारीख पेशी होना अंकित किया गया । उक्त नोटिस किसी मानी नाम महिला ने प्राप्त किया एवं मानी की निशानी उक्त नोटिस की पुश्त पर की गई है। परन्तु उक्त मानी नामक महिला कौन है, उसके पिता, पति का नाम व जाति क्या है , वह भैरू लाल आत्मज नारायण गुर्जर के रिश्ते में क्या लगती है। इस प्रकार का कोई अंकन तामिल कुनिन्दा ने नहीं किया है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/विपक्षी की प्रोपर तामिल मानते हुए उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

13. अपीलार्थी कथन है कि प्रार्थीगण/विपक्षीगण के पास अपनी आराजी पर जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें अपीलार्थी की सारी भूमि रास्ते में चली गई है। जबकि रास्ता उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में संबंधीत खातेदार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिये। मेड पर रास्ता दिये जाने की स्थिति में मेड के दोनों ओर स्थिति खेत के खातेदारान की भूमि रास्ते में लिये जाने के बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय को गौर करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने चूकि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है एवं वैकल्पिक रास्ता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उपलब्ध होना, अथवा सुविधाजनक छोटा रास्ता उपलब्ध होने के बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी आंशिक तौर पर स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

14. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.6.2013 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.5.18 को उपस्थित रहे।

15. निर्णय आज दिनांक 12.3.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

12/3/18

(निमिषा गुप्ता)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा